संख्या 761/कार्मिक--1/1993

प्रेषक,

ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ, दिनांक 30 जून, 1993 ।

विषयः--''संतोषजनक'' सेवा का निर्धारण ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग--1 शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सेवा संबंधी प्रकरणों [यथा स्थायीकरण, दक्षतारोक पार कराने, समयमान वेतनमान दिये जाने, सी०एस०आर० के अनुच्छेद--470 (बी) के तहत पेंशन से कटौती किये जाने आदि मामलों] में संबंधित सरकारी सेवकों की ''संतोषजनक'' सेवा के निर्धारण हेतु कोई निश्चित मानक निर्धारित न होने के कारण विभिन्न स्तरों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वविवेक से अलग-अलग निर्णय लिये जाते हैं, फलस्वरूप इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि किसी मामले में जिन सेवाभिलेखों के आधार पर सेवाओं को संतोषजनक माना गया हो, उसी स्तर के सेवाभिलेखों के होते हुए भी किसी दूसरे मामले में सेवाओं को संतोषजनक न माना जाये ।

2- यद्यपि ''संतोषजनक'' सेवा के निर्धारण का विषय नितान्त ''सब्जेक्टिव'' प्रकृति का विषय है और सभी संगत सेवाभिलेखों का उन्हें अभिलिखित किये जाने की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विषय में समुचित निर्णय लिया जा सकता है, तथापि सक्षम प्राधिकारियों की सहायता हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस विषय में निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये गये हैंः--

(1) स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए केवल परिवीक्षा काल और जहां नियमानुसार परिवीक्षा काल को बढ़ाया गया हो, वहां बढ़ाये गये परिवीक्षा काल सहित सम्पूर्ण अवधि के सेवाभिलेखों को ही आधार बनाकर यह निर्णय लिया जाये कि परिवीक्षा काल में संबंधित सरकारी सेवक की सेवायें संतोषजनक रही हैं या नहीं ।

(2) दक्षतारोक पार कराने, समयमान वेतनमान स्वीकृत करने तथा सी०एस०आर० के अनुच्छेद--470(बी) के तहत पेंशन की अनुमन्यता आदि अन्य सभी विषयों में संतोषजनक सेवा का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित निर्देशों को दृष्टि में रखा जायेः--

(अ) संतोषजनक सेवाओं के विषय में निर्णय लेने के दिनांक के पूर्व जिस समय तक के अभिलेखों के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को संतोषजनक सेवा के आधार पर कोई लाभ अनुमन्य कराया जा चुका हो अथवा उसे पदोन्नति प्रदान की जा चुकी हो अथवा उसका स्थायीकरण किया जा चुका हो अथवा उसे दक्षतारोक अनुमन्य कराया जा चुका हो, उन सेवाभिलेखों को पुनः विचार में न लिया जाये, वरन् उसके पश्चात् के सेवाभिलेखों के आधार पर ही संतोषजनक सेवाओं का निर्धारण किया जाये ।

(ब) यदि उस अवधि में, जिसके सेवाभिलेख उपरोक्तानुसार विचार क्षेत्र में आते हैं, किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की गयी हो, परन्तु अनुवर्ती समस्त वर्षों (जिसकी संख्या कम से कम 5 अवश्य हो) की सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित की जाती रही हो तो केवल उस एक वर्ष की अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवाओं को असंतोषजनक न माना जाये ।

(स) यदि उस अवधि में, जिसके सेवाभिलेख उपरोक्तानुसार विचार क्षेत्र में आते हों, कोई निन्दा प्रविष्टि विद्यमान हो और उस निन्दा प्रविष्टि से संबंधित घटना की तिथि के बाद की अगले पांच वर्ष की अवधि में कोई अन्य प्रतिकूलता (यथा प्रतिकूल प्रविष्टि, दण्ड आदि) न हो तो उस निन्दा प्रविष्टि को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न लिया जाये अर्थात् उसे नजरान्दाज कर दिया जाये ।

(द) यदि संबंधित अवधि में किसी सरकारी सेवक को कोई सुझावात्मक प्रविष्टि या चेतावनी दी गयी हो तो उसे सुझावात्मक प्रविष्टि/चेतावनी को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न लिया जाये ।

(य) यदि संबंधित अवधि में निन्दा प्रविष्टि से भिन्न कोई अन्य लघु दण्ड या बृहद दण्ड दिया गया हो अथवा एक से अधिक बार पांच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में निन्दा प्रविष्टि दी गयी हो, तो संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु संबंधित अवधि के समस्त सेवाभिलेखों

के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक से समुचित निर्णय लिया जाये ।

(ख) यदि संबंधित अवधि में एक से अधिक वर्षों की सत्यनिष्ठा पांच वर्ष के अन्तराल से कम अवधि में अप्रमाणित कर दी गयी हो तो सामान्यतया उक्त अवधि की सेवाओं को असंतोषजनक समझा जाये ।

3- अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का भली-भांति अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इन्हें अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में भी ला दें, ताकि उनके स्तर पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

4- उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल सक्षम प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शनार्थ है । ये किसी विषय-विशेष पर इस संबंध में लागू नियमों को अवक्रमित नहीं करते हैं और न ही इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार के विरुद्ध किसी सरकारी सेवक को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान करते हैं ।

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव ।

संख्या 761/का–1/1993, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
3. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ०प्र० ।
4. श्री राज्यपाल के सचिव ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
6. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
डा० जी० डी० माहेश्वरी,
विशेष सचिव ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०11 सा०नियुक्ति–16-7-93–(958)–8,500 (कम्प्यूटर/आफसेट) ।